न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/04/2018	10–05–2018	02–09–2019

1– लोकेश पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा जाति मीणा निवासी मकान नम्बर 170 मीणा कॉलोनी भूगोर, अलवर जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1– ग्राम पंचायत भूगोर जरिये ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय अलवर।
2– सत्यानारायण पुत्र रामजीलाल जाति मीणा निवासी अदलपुर तहसील महुआ जिला दौसा हाल वासी मकान नंबर 48 गली नंबर 7 मीठापुर नई दिल्ली।
3– रामस्वरूप पुत्र धर्मपाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर।
4– फजरू पुत्र याकूब जाति मेव निवासी ग्राम छीलोडी तहसील रैणी जिला अलवर राज.।

–अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भूगोर पट्टा दिनांक 11.03.1998 जो अवैध रूप से सत्यनारायण पुत्र रामजीलाल मीणा निवासी अदलपुर तहसील महुआ जिला दौसा के नाम जारी किया।

उपस्थित:–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील प्रार्थी
02. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अप्रार्थी 2
03. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अप्रार्थी 3
04. श्री गणपत सिंह नरूका –वकील अप्रार्थी 4

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत भूगोर के आदेश दिनांक 11.03.1998 जिसके द्वारा अवैध रूप से सत्यानारायण पुत्र रामजीलाल मीणा निवासी ग्राम अदलपुर तहसील महुआ जिला दौसा राज0 के नाम जारी किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्रम पंचायत भूगोर के सरपंच ने एक पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के हक में दिनांक 11.03.1998 को जारी किया। जिस प्लॉट का पट्टा जारी किया गया वह गै0मु0 पहाड भूगोर में स्थित है। गै0मु0 पहाड मे आवासीय प्लॉट विधिवत् नहीं काटे जा सकते है। यदि कोई गलती करता है तो न्यायालय को उस गलती को निस्प्रभावी करने का पूर्ण अधिकार है। यह प्लॉट 70X55 फुट प्रार्थी के कब्जे में करीब 20 साल से चला आ रहा है। जिस प्लॉट पर वह आवास करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत भूगोर के पास उक्त पट्टे की कोई पट्टा बही नहीं है। इसलिए यह पट्टा फर्जी है। प्लॉट का बेचान पट्टा जारी करने की कीमत रू0 51/– पट्टे के अन्त में दर्ज है जबकि इस प्रकार की कोई बुक ग्राम पंचायत भूगोर में नहीं है। प्रार्थी ने इस प्लॉट के संबंध में एक प्रा0पत्र श्रीमान अति0 जिला कलक्टर, प्रथम, अलवर के यहां पेश किया, जिसकी जांच रिपोर्ट इस प्रकार मिली कि जो पट्टा ग्राम पंचायत ने जारी किया गया है वो अवैध जारी किया गया है। लेकिन उक्त अवैध पट्टे के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः निवेदन है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

कि प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावें। विवादित भूमि का पट्टा दिनांक 11.03.1998 को जारी किया गया है तथ प्रा0पत्र दि0 07.08.2013 को पेश किया गया है। प्रा0पत्र पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया जा रहा है।

विद्वान वकील अप्रार्थी 2 ने अपनी जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि पट्टा दिनांक 11.03.1998 को सही रूप से ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा जारी किया गया है। पट्टा जिस जगह का दिया गया है वो गै0मु0 पहाड नहीं है, बल्कि गै0मु0 आबादी भूमि है। अप्रार्थी का पट्टेशुदा भूमि पर प्रारम्भ से कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा पट्टे की कीमत रू0 51/– सही दर्ज की गई है। रसीद की प्रति पेश की गयी है। जांच रिपोर्ट मिन अप्रार्थी की पीठ पर तैयार की गई है। मिन अप्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तथाकथित जांच रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई है। जो खारिज योग्य है। पट्टा निरस्त किये जाने योग्य प्रा0पत्र मेंटेनेबल नहीं है। प्रार्थी के हक में जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही की सुनवाई करने का अधिकार विकास अधिकारी को प्राप्त है। इसलिए प्रा0पत्र खारिज योग्य है। विकास अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध पंचायत एक्ट में माननीय न्यायालय को रिविजन का अधिकार है। यहां पर रिविजन पेश नहीं कर प्रा0पत्र पेश किया गया है। जो खारिज योग्य है। विवादित पट्टा जारी हुए 19 साल का लम्बा समय व्यतीत हो चुका है। जिस कारण पट्टा निरस्त होने योग्य नहीं है। उक्त आराजी के आस–पास भी आबादी की भूमि है। सभी को ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर रिहायश की जा रही है। बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया हुआ है। जिस समय पट्टा दिया गया था उस समय अप्रार्थी ग्राम भूगोर में ही निवास करता था। ग्राम पंचायत भूगोर के राशन कार्ड की प्रति पेश की गई है। उक्त प्लॉट के 1/2 हिस्सा यानि 175 वर्गगज अप्रार्थी द्वारा दिनांक 30.12.2012 को अप्रार्थी सं. 3 व शेष 1/2 हिस्सा यानि 175 वर्गगज अप्रार्थी सं. 4 को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा सम्भलवा दिया गया। प्रार्थी द्वारा बाला बाला ही पट्टा निरस्त कराने की कार्यवाही कर रहा था। जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा बहस सुनने के पश्चात् मिन प्रार्थी को पक्षकार बनाते हुए अप्रार्थी सं. 2 के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी 3 ने अपनी जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि पट्टा दिनांक 11.03.1998 को अप्रार्थी सं. 2 के हक में ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा सही प्रकार से जारी किया गया है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया था उस पर अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा चला आ रहा था। उक्त पट्टाशुदा भूमि के 1/2 भाग तरफ पश्चिम मिन अप्रार्थी सं. 3 द्वारा दिनांक 30.12.2012 को जरिये इकरारनामा रू0 2,00,000/– में क्रय कर लिया तथा तरफ पूर्व का 1/2 भाग अप्रार्थी सं. 4 को विक्रय किया गया। जिस पर अप्रार्थी सं. 4 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी पट्टाशुदा प्लॉट से गैर वास्ता शख्स है। जांच रिपोर्ट अप्रार्थी के पिछे से सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय तैयार की गई है जो खारिज योग्य है। पेश शुदा पट्टा निरस्त किये जाने का प्रा.पत्र संधारण योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही के लिए पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 के अनुसार विकास अधिकारी को अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0पत्र खारिज योग्य है। विकास अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध पंचयात एक्ट की धारा 97 के अनुसार माननीय न्यायालय को निगरानी का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश नहीं कर प्रा0पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित पक्षकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने लिए पेश किया गया है। पट्टा जारी हुए 19 साल का लम्बा अन्तराल गुजर चुका है। पट्टाशुदा भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। प्रार्थी लोकेश द्वारा प्रा0पत्र गलत तथ्यों पर दायर किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी व उसकी माता व पिता तथा अन्य के खिलाफ एक एफआईआर जरिये इश्तगासा अंतर्गत धारा 420,

467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज करायी गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी 4 ने भी अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा की गई बहस को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रा0पत्र को खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया प्रार्थी ने आदेश दिनांक 11.03.1998 के विरूद्ध दिनांक 06.03.2013 को पेश किया। जो करीब 19 साल के अधिक के विलम्ब से पेश किया गया है तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील सुनने का अधिकार पंचायत समिति की निगरानी कमेटी को है। प्रार्थी द्वारा सीधे ही न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रा0पत्र खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थं भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02–09–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/9/19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)